



संख्या- 872

03/11/2018

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना-03 नवम्बर, 2018 ::- आज संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद् ने कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा, स्थानीय प्रकृति की आपदा एवं गैर प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर होने वाली घटना में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु जिला स्तर पर आपदा चक्रीय निधि (Disaster Revolving Fund) के गठन की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मे० सन्जीवन राईस मिल्स प्रा० लि०, सिक्युरिटी हाउस, 23-बी०, एन०एस०रोड, कोलकाता द्वारा ग्राम-बिशनपुर, ब्लॉक-चकाई, जिला-जमुई में 480 टी०पी०डी० क्षमता का आधुनिक पाराब्वॉयल्ड राईस मिल की स्थापना हेतु कुल रू० 3889.30 लाख (अड़तीस करोड़ नवासी लाख तीस हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग (विशेष शाखा) के अन्तर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता ₹400 (चार सौ रूपए) प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप ₹774 (सात सौ चौहत्तर रूपए) करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को अधिसूचना संख्या-112-सह-पठित ज्ञापांक-113 दिनांक 09.01.2015 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर अवनति की अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए उनसे प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर पुनः अग्रेत्तर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री शरदेन्दु भूषण, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा, नालंदा सम्प्रति : निलंबित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के लिए सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत अनाज आधारित आसवनियों से ENA उत्पादन के क्रम में निकलने वाले Impure spirit/By product को राज्य से बाहर निर्यात करने की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन "राज्य का वित्त" एवं "राजस्व प्रक्षेत्र" को बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति तथा वित्त विभाग के ही तहत लेखा मिलान से संबंधित बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के नियम 475 (ix) में संशोधन किये जाने की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रथम इन्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 के आयोजन हेतु ₹62,23,75,000/- (बासठ करोड़ तेईस लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के तहत पीड़ितों के भुगतान हेतु अनुग्रह अनुदान मद में कुल 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को शिक्षा ऋण की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 392 करोड़ रूपये (तीन सौ वियानबे करोड़) रूपये मात्र के ऋण की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण

विभाग के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य के दक्षिण बिहार अन्तर्गत कुल 5331.657 कि०मी० पथांश लंबाई का संधारण कार्य कुल 303149.03330 लाख (तीन हजार एकतीस करोड़ उनचास लाख तीन हजार तीन सौ तीस) रुपये के अनुमानित व्यय पर संलग्न परिशिष्ट-1में उल्लेखित पैकेज के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रमंडलवार अंकित राशि पर पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य के उत्तर बिहार अन्तर्गत कुल 7731.617 कि०मी० पथांश लंबाई का संधारण कार्य कुल 362327.76000 लाख (तीन हजार छः सौ तेईस करोड़ सत्ताईस लाख छिहत्तर हजार) रुपये के अनुमानित व्यय पर संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लेखित पैकेज के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रमंडलवार अंकित राशि पर पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत "वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2013-14 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शैक्षणिक सत्र 2012-14 में सरकारी अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹3,44,15,91,600/- (तीन अरब चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख इकानवे हजार छः सौ) रुपये की स्वीकृति एवं तत्काल ₹3,30,00,00,000/- (तीन अरब तीस करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु गठित बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् का संविलियन (कार्मिक, संपत्ति एवं देनदारी इत्यादि सहित) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में करने की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा CONTEMPT PETITION (C) NO. 1285 OF 2018 IN CIVIL APPEAL NO. 1868 OF 2018 (MUKESH KUMAR & ORS. V/S R.K.MAHAJAN & ORS.) में दिनांक 05.10.2018 को पारित न्यायादेश में निहित आदेश के अनुपालनार्थ विघटित बिहार इंटरमीडियेट शिक्षा परिषद्, पटना के 10 (दस) तदर्थ कर्मियों की सेवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में समायोजन करने की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत किशनगंज में हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर की स्थापना के लिए 90 पद एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना के लिए 80 पद कुल 170 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) प्रक्षेत्र के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों के लिए केन्द्रीय डायनेमिक ए०सी०पी० के लाभ का प्रावधान हू-ब-हू लागू करने की स्वीकृति, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिक कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु "बिहार आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, आशुलिपिक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018" के गठन की स्वीकृति, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम.बी.बी.एस. नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रू० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना में सुचारू रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित रखने हेतु कार्यरित/छात्ररहित में संविदा के आधार पर कार्यरत 08 (आठ) व्याख्याताओं (पदनामित सहायक प्राध्यापकों) की दिनांक-12.06.2018 के प्रभाव से अगले 03 (तीन) वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए संविदा अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति, निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों/पारा मेडिकल संस्थानों /डेन्टल कॉलेजों के छात्रों को राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों में क्लिनिकल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 18,07,63,834/- (रुपये अठ्ठारह करोड़ सात लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौतीस) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभिन्न

विभागों के अधीन गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभावों, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत चयनित योजनाओं की स्वीकृति, कार्यान्वयन की प्रक्रिया, कार्यकारी एजेन्सी के चयन की व्यवस्था एवं अनुश्रवण के प्रावधानों से संबंधित मार्गदर्शिका के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के साथ संलग्न अनुसूची एवं बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 (Bihar Rural Roads Maintenance Policy-2018) की स्वीकृति तथा ग्रामीण कार्य विभाग के ही तहत श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहार शरीफ को अधिसूचना संख्या-2546-सह-पठित ज्ञापांक-2547 दिनांक 05.08.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए सहायक अभियंता के कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम (पे-मैट्रिक्स लेवल-9 में वेतन 53100) पर स्थायी रूप से पदावनत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अभियंताओं (असैनिक) के 117 अतिरिक्त पदों के रू०-12,42,22,176/- (बारह करोड़ बयालीस लाख बाईस हजार एक सौ छिहत्तर) रूपये मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर सृजन तथा कतिपय पदों को नये पदों के रूप में परिवर्तित करने के साथ-साथ लोकायुक्त कार्यालय के लिए स्वीकृत पदों (अभियंत्रण) को गैर सम्बर्गीय पद के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य में लागू नयी उत्पाद नीति-2015 के आलोक में 'बिहार उत्पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध सेवा' किये जाने के फलस्वरूप 'बिहार मद्य निषेध सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2018' का गठन की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत वैशाली जिलान्तर्गत महुआ अंचल के ग्राम-छत्तवारा कपूर, थाना सं०-302, खाता सं०-129 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा-20 एकड़ भूमि, किस्म-भीठ-II (मकानमय सहन, रास्ता) बिहार सरकार, कृषि विभाग, बीज गुणन केन्द्र की भूमि (भूमि विवरणी-परिशिष्ट-1) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के निमित्त स्वास्थ्य विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में नगर निकायों के स्तर पर तकनीकी सहयोग हेतु अभियन्ताओं के पदों को चिन्हित करने के फलस्वरूप 23,13,41,016/- (तेईस करोड़ तेरह लाख एकतालीस हजार सोलह) रूपये अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के अभियन्ताओं के 316 (तीन सौ सोलह) अतिरिक्त पदों के सृजन करने की स्वीकृति तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 23 जिलों के कुल 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के निमित्त पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं० 2898/आ०प्र०, दिनांक-15.10.2018 में आंशिक संशोधन एवं बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 1450.00 करोड़ रू० प्रावधानित करने की स्वीकृति दी गई है।